

अनुचित बेदखली और स्थानांतरण के खिलाफ पथ विक्रेताओं के अधिकार

पथ विक्रेता अधिनियम, 2014



1


किसी सर्वेक्षण के पूरे होने तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जा सकता

टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के सर्वेक्षण पूरा करने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र (सीओवी) और पहचान पत्र जारी करने से पहले किसी पथ विक्रेता को बेदखल करना गैर कानूनी है (धारा 3)

2

वैध विक्रय प्रमाणपत्र होने पर किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जा सकता

किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जा सकता अगर उसके पास कोई वैध विक्रय प्रमाणपत्र है और उसकी यह, टाउन वेंडिंग कमेटी ने निलंबित नहीं की है (धारा 18)



3

नो वेंडिंग ज़ोन घोषित होने पर किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जा सकता

अगर नगर निगम प्राधिकरण किसी इलाके को नो वेंडिंग ज़ोन घोषित करता है तो उस इलाके के पथ विक्रेताओं को बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्हें किसी पास के इलाके में स्थानांतरित किया जाना चाहिए (धारा 18)



4

पुलिस अधिकारी किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं कर सकते

स्थानीय प्राधिकरण, पथ विक्रेताओं को केवल टाउन वेंडिंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही बेदखल कर सकता है। अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों के पास फुटकर विक्रेताओं को बेदखल करने का अधिकार नहीं है (धारा 18)



5

30 दिनों का नोटिस दिए बिना किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल नहीं किया जा सकता

स्थानीय प्राधिकरण बेदखली या स्थानांतरण से पहले 30 दिनों का नोटिस दिए बिना किसी भी पथ विक्रेताओं को बेदखल नहीं कर सकता (धारा 18)

